झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट)-सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 10 फाल्गुन, 1942(श0) .....को
01 मार्च, 2021 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
01.	अ0सू0-21	डा0 लम्बोदर महतो	आरक्षण देना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	24.02.21
02.	अ0सू0-01	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	लाभ एवं वरीयता का निर्धारण।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	18.02.21
03.	अ0सू0-27	श्री समीर कुमार मोहंती	पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी।	गृ0का0एवं आ0प्र0	24.02.21
04.	अ0सू0-03	श्री बिरंची नारायण	मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र का संचालन।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	18.02.21
05.	अ0सू0-36	श्री प्रदीप यादव	समस्या का समाधान	यो0सह वित्त	24.02.21
06.	अ0सू0-22	श्री कमलेश कुमार सिंह	रिक्त पदो को भरना।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	24.02.21
07.	अ0सू0-32	श्री मथुरा प्रसाद महतो	वर्दी भत्ता की बढ़ोत्तरी।	गृ0का0एवं आ0प्र0	24.02.21
08.	अ0सू0-25	श्री विनोद कुमार सिंह	प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	24.02.21
09.	अ0सू0-37	श्री दीपक बिरूवा	आर्थिक मदद हेतु विचार।	गृ0का0एवं आ0प्र0	24.02.21
10.	अ0सू0-23	डॉ0 लम्बोदर महतो	रिक्त पदों पर नियुक्ति।	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	24.02.21
11.	अ0सू0-12	श्री मनीष जयसवाल	पदस्थापन एवं प्रोन्नति।	गृ0का0एवं आ0प्र0	24.02.21

12.	अ०सू०-08	श्री भानु प्रताप शाही	दोषियों पर कानूनी कार्रवाई।	गृ०का०एवं आ०प्र०	24.02.21
13.	अ०सू०-20	श्री कमलेश कुमार सिंह	राष्ट्रीय औसत आय के समान करना।	यो०सह वित्त	24.02.21
14.	अ०सू०-31	श्री अनंत कुमार ओझा	मेधा सूची प्रकाशित करना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
15.	अ०सू०-29	श्री सुदेश कुमार महतो	आरक्षण देना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
16.	अ०सू०-14	श्री मनीष जायसवाल	उम्र सीमा का निर्धारण।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
* 17.	अ०सू०-35	श्रीमती सीता सोरेन	आरक्षण लागू करना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
# 18.	अ०सू०-13	श्री भानु प्रताप शाही	सर्वांगीन विकास कराना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
19.	अ०सू०-11	डॉ० सरफराज अहमद	मॉडल पुलिस विधेयक 2015 के मुख्य प्रावधानों को लागू करना।	गृ०का०एवं आ०प्र०	24.02.21
☼ 20.	अ०सू०-38	श्री दीपक बिरुवा	रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
21.	अ०सू०-30	श्री सुदेश कुमार महतो	नियोजन नीति बनाना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
22.	अ०सू०-09	डॉ० सरफराज अहमद	नियुक्ति करना।	गृ०का०एवं आ०प्र०	24.02.21
23.	अ०सू०-34	सुश्री अम्बा प्रसाद	समान वेतन दिलाना।	गृ०का०एवं आ०प्र०	24.02.21
24.	अ०सू०-46	प्रो० स्टीफन मरांडी	पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को शिथिल करना।	गृ०का०एवं आ०प्र०	24.02.21
+ 25.	अ०सू०-15	श्री सुदिव्य कुमार	दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितिकरण।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
26.	अ०सू०-16	श्री सुदिव्य कुमार	उम्र सीमा की गणना।	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	24.02.21
27.	अ०सू०-06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पदाधिकारी की नियुक्ति	का०प्र०सु० तथा रा०भा०	18.02.21

क्र०पृ०उ०-

* योजना-सह-वित्त विभाग में स्थानांतरित।
# अनु०जा०, अनु०ज०जा०, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित।
☼ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।
+ गृह, का०प्र० एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

1-	2.	3.	4.	5.	6.
28.	अ0सू0-49 श्री बंधु तिर्की	कार्यालय खोलना	का0प्र0सु0 तथा रा0भा0	24.02.21	

अग्र प्रेषण

....

राँची
दिनांक- 01मार्च, 2021

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 01/2021......527......./वि0स0, राँची, दिनांक-26/02/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2021

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 01/2021......527......./वि0स0, राँची, दिनांक-26/02/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2021
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- झा0वि0स0 प्रश्न- 01/2021......527......./वि0स0, राँची, दिनांक-26/02/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2021
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

26/02/21

ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

(1)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 26.2% और आरक्षण 26%, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 12.1% और आरक्षण 10%, सामान्य वर्ग की कुल जनसंख्या 4% और आरक्षण 10% (आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को) अन्य सामान्य वर्ग को 40%का प्रावधान है, जबकि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 42% तथा आरक्षण मात्र 8% और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 18% और आरक्षण 6% का आरक्षण राज्य में लागू है;	अंशतः स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के बाद सं0–WP(PIL)-3696/2002 एवं WP(PIL)-4706/2001 के न्यायादेश का उल्लेख कर 50 प्रतिशत तक आरक्षण सीमित रखने की सूचना विधान सभा के सत्र के माध्यम से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा ज्ञापांक–3944, दिनांक–13/08/2020 को दिया गया परन्तु राज्य के सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था की गई और आरक्षण प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0–WP(PIL) 3696/2002 एवं WP(PIL) – 4706/2001 दिनेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य दिनांक 30.09.2002 में पारित आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा संकल्प संख्या–5776 दिनांक 10.10.2002 के माध्यम से राज्य के राज्यस्तरीय पदों में आरक्षण निम्न रूप में विनियमित किया गया था:– अ.ज.जा. – 26 प्रतिशत अ.जा. – 10 प्रतिशत अ.पि.व. – 08 प्रतिशत पि.व. – 06 प्रतिशत 103वां संविधान संशोधन के उपरान्त झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण निर्धारित की गयी हैं:– (क) अ.ज.जा. – 26 प्रतिशत (ख) अ.जा. – 10 प्रतिशत (ग) अ.पि.व. – 08 प्रतिशत (घ) पि. व. – 06 प्रतिशत (ङ) आ.क.व. (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 60 प्रतिशत
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्रुटिपूर्ण आरक्षण नीति पर संशोधन करते हुए जनसंख्या के अनुपात में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–04/2021 का0–1273 /रांची, दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–247 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

02

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प्रोन्नति पर रोक संबंधी सरकार के निर्णय के कारण सामान्य एवं पिछड़े संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी के तरह ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी भी समान रुप से प्रभावित हो रहे हैं तथा पुराने प्रावधान के तहत इन जातियों को भी मिलने वाली सामान्य प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार में कार्यरत 1000 अधिकारी/कर्मचारी प्रतिमाह सेवानिवृत होते हैं, जिसमें से 100 से अधिक कर्मचारी आर्थिक और वरीयता संबंधी लाभ से वंचित होते जा रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक। योजना–सह–वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 2020 से फरवरी, 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों का औसत लगभग 841 है।
3	क्या यह बात सही है कि दिसम्बर 2020 में हुई डी.पी.सी. की बैठक में कई संवर्गों के कर्मियों को प्रोन्नति देने पर सहमति बनी थी, जिसमें जे0पी0एस0सी0 सेकेन्ड बैच के 140 अफसरों को प्रोन्नति देने संबंधी निर्णय हो चुका था ;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक–24.12.2020 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई थी। कुल 443 पदाधिकारियों की विचारण सूची पर समिति में विचार किया गया। विभागीय पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिये जाने के उपरांत इन पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में अंतिम निर्णय नही लिया जा सका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सेवानिवृत हो रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति संबंधी रोक हटने पर पूर्व की तिथि से आर्थिक लाभ एवं वरीयता का निर्धारण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58(क) के अनुसार "इन नियमों में खास तौर से रखे गये अपवादों और इस नियम के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक अपने पद से संबद्ध वेतन और भत्ते उस तारीख से लेना शुरू करेगा, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यग्रहण करे और ज्यों ही वह उन कार्यों का संपादन बन्द कर दे, त्यों ही वह उन्हें लेना बन्द कर देगा।"

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–01/2021 का0–1276/रांची, दिनांक 27.02.2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–81 वि0स0, दिनांक–18.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(03)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड आन्दोलनकारियों को मासिक पेंशन के रूप में 3000 रू० दिया जाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 के कंडिका–3 में वर्णित प्रावधानानुसार आंदोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को जीवनकाल तक कारा में छः माह से कम संसीमित रहने पर रूपये 3000/–(तीन हजार) प्रतिमाह तथा छः माह से अधिक संसीमित रहने पर रूपये 5000/–(पांच हजार) प्रतिमाह सम्मान पेंशन देय है।
2	क्या यह बात सही है, कि यह रकम वर्तमान परिस्थिति में काफी नगण्य है तथा वर्षों में विभिन्न विभागों के देय पेंशन राशि में कुछ न कुछ बढोत्तरी की गई है, परन्तु झारखण्ड आन्दोलनकारियों की पेंशन राशि में अबतक कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। दिनांक–25 फरवरी, 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में झारखण्ड आन्दोलनकारियों के सम्मान पेंशन राशि में निम्नरूपेण संशोधन किया गया है :– (क) कारा में तीन माह से कम संसीमित रहने पर 3,500/–(तीन हजार पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह। (ख) कारा में तीन माह से छः माह के बीच संसीमित रहने पर 5,000/–(पाँच हजार रूपये) प्रतिमाह। (ग) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर 7,000/–(सात हजार रूपये) प्रतिमाह।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आन्दोलनकारियों की पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–703/2021–12-11../ राँची, दिनांक– 26/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–230, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(04)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 01.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या –03 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एक वर्ष पूर्व झारखण्ड में आम जनता के शिकायतों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र की स्थापना करते हुए प्रत्यक्ष रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झारखण्ड की जनता से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सुनवाई के माध्यम से होता था और इससे नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से कई लाभ होते थे	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में उक्त मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र को शिथिल कर दिया गया है और इस 1 वर्ष में किसी भी शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी सुनवाई करके जनता को राहत नहीं दिलवाया गया है	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन–संवाद केन्द्र का संचालन एवं क्रियान्वयन योजना में आवंटन उपलब्ध नहीं किया गया था। अतः आवंटन की अनुपलब्धता के कारण पूर्व में जन–संवाद केन्द्र संचालित करने वाली एजेंसी को नोटिस देकर नियमानुसार सेवा समाप्त की गई। परंतु सरकार गठन के पश्चात् से ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक दिन आवासीय कार्यालय, विभिन्न जिला कार्यालय एवं मंत्रालय में समस्याओं के साथ मिलने वाले सभी जनता की शिकायतों की सुनवाई की गई एवं जनता की समस्याओं का निदान किया गया।
3	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के सुचारु रूप से क्रियान्वित होने से राज्य की कार्यपालिका और प्रशासक नियंत्रित थे	उपर्युक्त में स्थिति स्पष्ट की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या व्यापक जनहित में पुनः मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र को सुचारु रूप से क्रियान्वित करवाते हुए जनता के शिकायतों पर सुनवाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों?	इसे नये स्वरूप में चालू करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/01/2021–सू०ज०स०....83.... **रांची दिनांक 27-02-21**
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 82, दिनांक 18.02.2021 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव

(5)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–36 का उत्तर ।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था हेतु राज्य कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व से 33,489.84 करोड़, केन्द्रीय सहायता से 15,839 करोड़ एवं केन्द्रीय कर की हिस्सेदारी से 25,979 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था ?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य राजस्व वसूली में कमी एवं केन्द्रीय कर से कम हिस्सेदारी प्राप्त होने के कारण बजट में प्रावधानित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ?	यह बात सही है कि कोविड–19 के कारण राज्य के राजस्व एवं केन्द्रीय करों में कमी आई है । राजस्व में कमी के बावजूद लोकहित के कार्यों में कमी नहीं आने दी गई । कर्मियों के वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्यान्न वितरण, श्रमिक कल्याण, मनरेगा स्कूलों में मिड–डे–मिल, कृषि प्रक्षेत्र के विभाग, ऋण से आच्छादित कार्य के व्यय वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही सुचारू एवं अनवरत किये जाते रहे हैं एवं सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है ।
3.	अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस पहल करना चाहती है हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राजस्व प्राप्ति की कमी को राज्य को प्राप्त अतिरिक्त Fiscal Space का उपयोग कर–राजस्व की कमी को पूरा किया जा रहा है । कोविड–19 में सुधार के कारण राजस्व प्राप्ति में सुधार हो रहा है । राजस्व अर्जक विभाग लगातार राजस्व प्राप्ति के लिए अधिकतम प्रयास कर रहे हैं । व्यय के लिए राशि की कमी नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि०स०(4)–07/2021/112/वित्त राँची, दिनांक : 26/02/2021

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–255/वि०स०, दिनांक–24.02.2021 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(साधना सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० 22 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	वस्तुस्थिति
01	क्या यह बात सही है, कि श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुदेशक एवं लिपिक संवर्ग के स्वीकृत पदों को भरने हेतु अपने कार्यालय के पत्रांक–611, दिनांक–01.04.2019 एवं पत्रांक–1394, दिनांक–03.09.2019 के द्वारा अधियाचना उपलब्ध करा दी गई है;	स्वीकारात्मक। श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण अधिकारी एवं निम्नवर्गीय लिपिक की अधियाचना अग्रतर कार्रवाई हेतु क्रमशः विभागीय पत्रांक 1262 दिनांक 26.02.2021 एवं 1261 दिनांक 26.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1 में वर्णित अधियाचना के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हुसैनाबाद सहित संपूर्ण झारखण्ड प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में अनुदेशक एवं लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	याचिका सं० WP(C) N0 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं० 821 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन, जो कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06. 2018 (संकल्प सं० 8468 दिनांक 20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित हैं तथा जिनमें अबतक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किये गये है, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापनों को निरस्त करते हुए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है। याचिका सं० WP(C) N0 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका SLP N0 14485/2020- झारखण्ड राज्य बनाम् सोनी कुमारी एवं अन्य दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06–07/2021 का0........1264........./राँची दिनांक–26/02/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 251 दिनांक 24.02. 2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/21
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

07

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न–अ०सू०–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि बिहार राज्य में पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दस हजार (10000) रू० दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता चार हजार (4000) रू० दिया जाता है, जो वर्त्तमान में महंगाई की दौर में अपेक्षाकृत बहुत कम है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड पुलिस के आरक्षी एवं हवलदार को वर्दी भत्ता के रूप में 4000/–(चार हजार) रूपये देय है तथा सहायक अवर निरीक्षक, परिचारी, अवर निरीक्षक, परिचारी प्रवर एवं पुलिस निरीक्षक को 4,500/–(चार हजार पाँच सौ) रूपये वर्दी भत्ता के रूप में अनुमान्य है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड राज्य पुलिस कर्मियों को वर्दी भत्ता दस हजार (10000) देने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य के पुलिसकर्मियों के विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित करने के संबंध में पुलिस मुख्यालय से मंतव्य सहित स्पष्ट प्रस्ताव की मांग की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत समीक्षोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–12/2021.....12.18../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–232, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

8

श्री बिनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–25 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य गठन के बाद नये राज्य की आकांक्षाओं को आयाम देने हेतु अब तक कोई विस्तृत प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि लोक कल्याण की आकांक्षा जरूरत व उस पर अमल करने वाले प्रशासनिक ढांचा में अन्तर बना हुआ है ?	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसे हल करने हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संकल्प संख्या–2066, दिनांक–19.03.2020 द्वारा झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है। इसकी अवधि का विस्तार जून, 2021 तक के लिए किया गया है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0प्र0–08–02 / 2021 का0 1258 / राँची, दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं0–246 वि0स0, दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/02/2021

(प्रेम कुमार राय)

सरकार के अवर सचिव।

(09)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–37 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में जंगली भालू एवं हाथी द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान तथा घरबाड़ी उजाड़ने पर राज्य सरकार की ओर से मृत व्यक्ति को 4 लाख, गंभीर रूप से घायल को 1 लाख एवं हल्का चोट पर 15 हजार रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक मदद किये जाने का प्रावधान है ;	राज्य में जंगली भालू एवं हाथी द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान तथा घरबाड़ी उजाड़ने पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) से क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक मदद करने का प्रावधान नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि जहरीली सांप के काटने से कई मरीज की मौत असमय हो जाती है;	स्वीकारात्मक है।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जहरीली सांप के काटने से मरने वाले मृतक के परिजनों को खण्ड–1 के आलोक में आर्थिक मदद करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय संकल्प संख्या–969 दिनांक–25.10.2018 द्वारा सर्पदंश को विशिष्ट स्थानीय आपदा अधिसूचित किया गया है। सर्पदंश से मरने वाले मृतक के परिजनों को SDRF के मद एवं मापदण्ड के अनुसार 4.00 लाख अनुग्रह अनुदान दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07 / आ०प्र०(विधायी)–06 / 2021–129 / आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची / विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07 / आ०प्र०(विधायी)–06 / 2021–129 / आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–227 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/2021

सरकार के अवर सचिव।

(10)

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजन नीति के तहत जिलास्तरीय पदों पर वृहद वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने वाले संकल्प सं0–3854, दिनांक–01/06/2018 तथा संकल्प सं0–8468, दिनांक–20/11/2018 को आहरित किया गया है;	स्वीकारात्मक WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed." उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के शत–प्रतिशत पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त प्रेक्षण (Observation) विभागीय संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 पर भी सैद्धान्तिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय समूह 'ख' अराजपत्रित, समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर नियुक्तियों में झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प सं0–3854, दिनांक–01.06.2018 (संकल्प सं0–8468, दिनांक–20.11.2018 द्वारा यथासंशोधित) को तत्काल प्रभाव से आहरित किया गया।
2	क्या यह बात सही है, कि सरकार के द्वारा JPSC/JSSSC के माध्यम से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशित किया जा रहा है एवं राज्य में नियोजन नीति के नहीं होने के कारण प्रकाशित विज्ञापन में 50 प्रतिशत रिक्त पदों के विरूद्ध अन्य राज्य के आवेदकों को भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है जिससे राज्य के अभ्यर्थियों को कठिन प्रतियोगिता की दौर से गुजरना पड़ेगा और राज्य की सफल अभ्यर्थियों की संख्या स्वतः कम हो जाएगी;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्मिक विभागीय संकल्प सं०–821, दिनांक–05.02.2021 निर्गत होने के उपरान्त किसी भी परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के द्वारा नही किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियोजन नीति बनाने के पश्चात विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–05/2021 का0– 1275 /रांची, दिनांक 27.02.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–245 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/20

(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य तथा पुलिस मुख्यालय में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के कैडर पोस्ट वर्षों से रिक्त है, जिसके कारण विभागीय कामकाजों के साथ–साथ नक्सल अभियान, पुलिस आधुनिकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 20 वर्षों में ऐसा पहली बार राज्य पुलिस मुख्यालय में डी०जी० या ए०डी०जी० मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण पद भी रिक्त है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में लगभग 50 वरीय व योग्य पुलिस पदाधिकारी प्रोन्नति की प्रत्याशा में है परन्तु सरकार उक्त पदाधिकारी को प्रोन्नति न देकर सी०आर०पी०एफ० एवं बी०एस० एफ० के अधिकारियों को उक्त पदो के संचालन हेतु ला रही है, जिससे राज्य के पुलिस पदाधिकारियों में निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। पूर्व में केन्द्रीय पुलिस संगठनों से पुलिस उप–महानिरीक्षक, समादेष्टा तथा उप–समादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों की राज्य में प्रतिनियुक्ति सहमति प्रदान की गयी थी। परन्तु पुनः समीक्षोपरांत उक्त आदेश को निरस्त किया जा चुका है। पुलिस उपाधीक्षक से वरीय पुलिस उपाधीक्षक तथा वरीय पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक में पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में राज्य तथा पुलिस मुख्यालय में वर्षों से रिक्त पदों पर पदस्थापन करते हुए खण्ड–03 में वर्णित पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13/वि०स०–102/2021–...1283../ राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–228, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

12

श्री भानू प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड धुरकी में खाला गांव में 30–40 परिवारों ने अपने पुराने धर्म परिवर्तन कर इसाई धर्म स्वीकार कर लिया है?	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा जिले के प्रखण्ड धुरकी में खाला गांव में कुल 18 परिवार ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म स्वीकार किया, इनमें से 6 (छः) परिवार (सभी अनुसूचित जनजाति) दिनांक–19.02.2021 को अपने मूल धर्म में वापस आ गये।
2. क्या यह बात सही है कि सभी परिवार विलुप्त प्रायः आदिम जनजाति कोरवा समुदाय के हैं?	आंशिक स्वीकारात्मक। धर्म परिवर्तन करने वाले कुल 18 परिवार में 03 परिवार आदिम जनजाति कोरवा समुदाय से संबंधित है।
3. उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय समिति से जाँच कराकर दोषियों पर कानूनी कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08 / वि0स0(04)–05 / 2021......989....../ राँची, दिनांक–28 / 02 / 2021

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–234 / वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\prem\Premanand\Sec 08 Vidhan Sabha Answer.doc 50
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(13)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा के द्वारा पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर सामग्री :–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 135048 रुपये प्रति वर्ष की तुलना में झारखण्ड प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 60339 रुपये है ;	अशंतः स्वीकारात्मक। वर्ष 2019–20 के औपबंधिक प्राक्कलन के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 134226/– रूपये है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय उक्त वर्ष 79873/– रूपये है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश जो कि खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है तथा प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश के 28 राज्यों में 25वां स्थान रखता है ;	अशंतः स्वीकारात्मक। • MoSPI के बेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2018–19 में झारखण्ड राज्य का स्थान 29 राज्यों के बीच 27वाँ था केवल बिहार एवं उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय झारखण्ड राज्य से कम थी। • MoSPI के बेबसाइट पर वर्ष 2019–20 में बहुत सारे राज्य के आँकड़े उपलब्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के अनुरुप करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	सरकार झारखण्ड के प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के अनुरुप करने हेतु विभिन्न आर्थिक प्रक्षेत्रों में पूँजी निवेश कर एवं उपयुक्त योजनाओं को लागू कर विकास की गति को तीव्र करने का प्रयास कर रही है। सरकार राज्य स्तर पर औधोगिक, कृषि, ऊर्जा के क्षेत्रों को बढ़ावा देकर राज्य के प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के अनुरुप लाने हेतु दृढ़ संकल्प है।

26/02/2021
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(योजना प्रभाग)

ज्ञापांक : 253(अ0)01/यो0 वि0 राँची, दिनांक: 26/02/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को कुल 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2021
सरकार के अवर सचिव।

(14)

श्री अनन्त ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	वस्तुस्थिति
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में 4.73 लाख से भी ज्यादा विभिन्न विभागों में नियमित पद स्वीकृत के विरूद्ध मात्र 1. 92 लाख ही कर्मचारी स्वीकृत पदों पर कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 एवं 2018 की संशोधित नियोजन नीति को वर्त्तमान सरकार रद्द कर चुकी है, जबकि पूर्व के संशोधित नियोजन नीति के तहत दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था जे0 पी0 एस0 सी0 एवं जे0 एस0 एस0 सी0 द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ हेतु परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है;	(क) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित 08 विभिन्न सेवाओं के लिए 326 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 23/2016 प्रकाशित करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। (ख) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य के अनुसूचित जिलों में जिलास्तर के पदों पर नियुक्तियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14.07.2016 के आधार पर इण्टरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2017, इण्टरमीडिएट (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2017 एवं संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 आयोजित की गई है। (ग) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों में जिलास्तर के पदों एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 एवं 4 के पदों पर नियुक्तियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिये जाने से संबंधित संकल्प सं0 8468 दिनांक 20.11.2018 (यथा संशोधित) के आधार पर झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2018, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्त्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, 2018 विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा, 2018 एवं झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्त्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2018 आयोजित की गई है।
03	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित राज्य की दो संवैधानिक संस्था द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तकनीकि एवं कौशल परीक्षा होने के बावजूद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित नहीं की जा सकी है, जिससे लाखों प्रतिभागी रोजगार पाने से वंचित है;	(क) झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कुल 08 विभिन्न सेवाओं के लिए 326 पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा राज्य सरकार को माह मई, 2020 में उपलब्ध करायी गई। राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 326 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। (ख) इण्टरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2017 का परीक्षाफल वर्ष 2018 में प्रकाशित कर दिया गया है तथा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 का परीक्षाफल आंशिक रूप से प्रकाशित किया गया है। (ग) आयोजित परीक्षाओं में से झारखण्ड राज्य

		कारा अस्पताल में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2018 का परीक्षाफल वर्ष 2019 में प्रकाशित कर दिया गया है। (घ) याचिका संख्या WP(C) N0 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य संलग्न याचिकाओं बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों की रिक्तियों में स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की पात्रता से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14.07.2016 को रद्द कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका SLP N0 14485/2020- झारखण्ड राज्य बनाम् सोनी कुमारी एवं अन्य दायर किया गया है, जो सम्प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। (ङ) इण्टरमीडिएट (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2017, झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, 2018, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत काराओं में वाहन चालक की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, 2018 एवं विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा, 2018 का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) के अन्तर्गत संशोधित नियोजन नीति के तहत पूर्व में सम्पन्न प्रतियोगिता परीक्षा के प्रतिभागियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	याचिका संख्या WP(C) N0 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य संलग्न याचिकाओं बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका SLP N0 14485/2020- झारखण्ड राज्य बनाम् सोनी कुमारी एवं अन्य दायर किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–05/2021 का0 1288 /राँची दिनांक– 27/02/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 239 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार) 27/2/21
सरकार के अवर सचिव।

15

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–29 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में होने वाले सरकारी नियुक्तियों तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 26, पिछड़ा वर्ग को 14 और अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है ,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2002 में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण (कुल 73 फीसदी) देने की अनुशंसा की थी ;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने वर्ष 2002 में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग को 09 प्रतिशत (कुल 71 प्रतिशत) आरक्षण देने की अनुशंसा की थी।
3	क्या यह बात सही है, कि आरक्षण में उचित भागीदारी नहीं होना बड़ी आबादी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में होने वाले नियुक्तियों तथा सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अनुशंसा के आलोक में आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण निर्धारित की गयी है:– (क) अनुसूचित जाति – 10 प्रतिशत (ख)अनुसूचित जनजाति – 28 प्रतिशत (ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)– 08 प्रतिशत (घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)– 06 प्रतिशत (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)– 10 प्रतिशत कुल 60 प्रतिशत राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत पर विचार हेतु समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–06/2021 का0–1274/रांची, दिनांक–27/02/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–240 वि0स0, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(16)

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 14 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	वस्तुस्थिति
01	क्या यह बात सही है कि राज्य में JPSC का गठन वर्ष 2002 में हुई है और उक्त आयोग द्वारा 18 वर्ष बीतने पर अबतक मात्र 06 सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है जिससे छात्रों को उक्त परीक्षा में काफी कम अवसर प्राप्त हुआ है जबकि उक्त आयोग द्वारा अबतक कम से कम 17 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष एक साथ 04 सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें कट ऑफ डेट 2016 निर्धारित की गई है परन्तु उक्त परीक्षा हेतु उम्र सीमा में कोई छुट नहीं दी गई है जबकि बिहार, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में उक्त परीक्षा में उम्र सीमा सामान्य तौर पर अधिक है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि राज्य में खण्ड–02 में वर्णित परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित उम्र सीमा के बदले सभी वर्गों के उम्र सीमा में 05 वर्षों का विशेष छुट देने से राज्य के लगभग 50 हजार वैसे छात्र जिनका उक्त परीक्षा हेतु उम्र सीमा समाप्त हो गई है को लाभ मिलेगी;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन में 04 वर्षों से अधिक का समय लग जाने के कारण वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 तक की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु विभागीय संकल्प सं0 805 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा कट–ऑफ तिथि 01.08.2016 करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त के अनुरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 252 पदों के लिए विज्ञापन सं0 1/2021 दिनांक 08.02.2021 प्रकाशित किया गया है।
04	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित परीक्षा में उम्र सीमा का निर्धारण बिहार व अन्य राज्यों के तर्ज पर करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–04/2021 का0 1265 /राँची दिनांक–26/02/2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 238 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमार) 26/2/21
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती सीता सोरेन, स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं.– 35 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के विभिन्न विभागों एवं सरकारी संस्थानों में संविदा पर नियुक्तियाँ की जाती है;	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के सरकारी विभाग एवं संस्थानों में संविदा के आधार पर किए जाने वाले नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक। संविदा के आधार पर नियुक्ति संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के कंडिका–7 चयन की प्रक्रिया अंतर्गत उप कंडिका–(ग) के अनुसार चयन में आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी विभागों एवं संस्थानों में संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने पर विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्वतः स्पष्ट है कि राज्य अंतर्गत सभी विभागों एवं संस्थानों में संविदा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान पूर्व से लागू है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–08/2021 ...701/वि० रॉंची/दिनांक 27/02/2021

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञाप संख्या 242/वि०स०, रॉंची, दिनांक 24.02.2021 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.21
(साधना सिन्हा)
संयुक्त सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

(18)

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक –01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–13 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड प्रदेश में कोरवा, भूईयाँ, बियार, मुसहर, डोम, तुरिया, घासी, परहिया, उराँव जैसे जाति भी निवास करते है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन सभी जातियों का झारखण्ड बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन–सहन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देने से आज भी इनका जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है ;	अस्वीकारात्मक। विभाग के द्वारा इनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु निम्न योजनाएँ संचालित हैं :– 1. छात्रवृति योजना– (क) प्री–मैट्रिक (ख) पोस्ट–मैट्रिक 2. साईकिल योजना 3. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 4. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 5. चिकित्सा सहायता योजना 6. विधिक सहायता योजना 7. अनु० जाति/अनु०जनजाति अत्याचार निवारण योजना 8. छात्रावास योजना 9. विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जाति उप योजना 10. कौशल विकास योजना 11. आय संवर्धन एवं आजीविका विकास योजना 12. सस्ते दर पर अनुदान सहित ऋण योजना इसके अतिरिक्त 23 अनुसूचित जाति, 116 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय (एकलव्य एवं आश्रम विद्यालय सहित) तथा 04 पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय संचालित की जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि इन जातियों पर विशेष ध्यान नहीं होने से कई तो विलुप्त होते जा रहे, तो कई जातियां दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे या, फिर धर्म परिवर्तन कर रहे है ;	विभागान्तर्गत संचालित उपरोक्त योजनाओं के द्वारा इन्हें आच्छादित करते हुए इनके कल्याण एवं विकास हेतु कार्य किया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी जातियों को सरकार विशेष समिति बनाकर इनका सर्वांगीण विकास के विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में अंकित योजनाओं के माध्यम से इनका सर्वांगीण विकास किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 06/वि०स०अल्प०सू०–01/21– 527 रॉंची, दिनांक:– 28.02.2021

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को उनके ज्ञाप सं०– 237, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumari 28/02/21

(वंदना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:– 06/वि०स०अल्प०सू०–01/21– 527 रॉंची, दिनांक:– 28.02.2021

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार को उनके पत्रांक–1355, दिनांक–26.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

Kumari 28/02/21

सरकार के उप सचिव।

डॉ सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक 2015 तैयार कर इसे राज्य सरकारों के लिए एक नया पुलिस अधिनियम बनाने या अपने वर्तमान अधिनियम 1861 में संशोधन करने हेतु इसे बी०पी०आर०डी० के बेवसाईट पर रखा गया ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अबतक राज्य पुलिस अधिनियम तैयार नहीं किया गया जिसके कारण प्रारूप मॉडल पुलिस विधेयक 2015 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका ;	आंशिक स्वीकारात्मक। नये पुलिस अधिनियम को लागू करने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रारूप मोडल पुलिस विधेयक 2015 के मुख्य प्रावधानों को लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल पुलिस एक्ट के प्रारूप के मुख्य प्रावधानों को नये पुलिस अधिनियम के प्रारूप में समाहित किया गया है। अधिनियम के प्रारूप पर विभिन्न विभागों की आवश्यक सहमति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरांत नये पुलिस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–101 / 2021–...1198.... /   राँची, दिनांक– 28/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–229, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

(21)

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 2 लाख 81 हजार 77 नियमित पद रिक्त है;	अंशतः स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार ने समीक्षा करते हुए 2016 में बनाए गए नियोजन नीति को रद्द करने का निर्णय लिया है;	अंशतः स्वीकारात्मक WP(C) No.-1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा संलग्न समरूप वादों में दिनांक–21.09.2020 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के वृहद् पीठ के द्वारा निम्नवत् न्यायादेश पारित किया:– "57. For the reasons detailed above, both these Notification No. 5938 and Order No. 5939 dated 14.7.2016, as contained in Annexures-6 and 6/1 of the lead writ application are accordingly, quashed."
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरकार नियुक्तियों से पहले नियोजन नीति बनाने की विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में कोई नियोजन नीति प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा०वि०स०–07–07 / 2021 का०– 1272 / रांची, दिनांक 27/02/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–प्र०–236 वि०स०, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021
(चन्द्र भूषण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

22

डॉ सरफराज अहमद, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पुलिस आधुनीकरण योजना के दिशा–निर्देश एवं गृह मंत्रालय के परामर्श के अनुसार राज्य पुलिस के कुल बल में 33 प्रतिशत तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जाना है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018 तक स्वीकृत पुलिस बल 80 हजार के विरुद्ध कार्यरत महिलाओं की संख्या लगभग 3500 ही है ;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में झारखण्ड पुलिस में कार्यरत महिलाओं की संख्या बढ़ कर 4451 है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं की पर्याप्त मात्रा में नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य में आरक्षी के पद पर नियुक्ति संबंधी नियमावली आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये कर्णांकित किया गया है तथा इसके अनुरूप आरक्षी के पद पर महिला की नियुक्ति की जाती है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–15 / वि०स०–03 / 2021–.....1202/ राँची, दिनांक– 26/02/2021 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–225, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/2021
सरकार के संयुक्त सचिव।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा० स ० वि ० स ० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के कारा कक्षपाल, काराओं में संसीमित कुख्यात अपराधियों पर नियंत्रण रखकर समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के कारा कक्षपालों को सभी आरक्षी संवर्ग (पुलिस आरक्षी, वन आरक्षी, अग्निशामक आरक्षी, विशेष शाखा आरक्षी) से कम वेतन मिलता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के कारा कक्षपालों के वेतन एवं भत्ते की तुलना में बिहार के काराओं में प्रतिनियुक्त कक्षपालों के वेतन एवं भत्ते में काफी असमानता है ;	बिहार के काराओं में प्रतिनियुक्त कक्षपालों के वेतन एवं भत्ते के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड के कारा कक्षपाल काराओं को बिहार कक्षपालों के समान वेतन दिलाने हेतु आवश्यक कार्य करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	बिहार से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि ० स ० – 02/2021–...1200.../ रॉंची, दिनांक–28/02/2021 ई ० ।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–226, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan Ji\Questions (Budget) 21.doc P-28

(24)

श्री स्टीफन मराण्डी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–46 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०	श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में वज्रपात से होने वाली मृत्यु पर मृतक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रूपये सरकार मुआवजा के रूप में देती है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वज्रपात से होने वाले मृत्यु के पश्चात मृतक का पोस्टमोर्टम कराना अनिवार्य है;	विभागीय संकल्प संख्या–1089 दिनांक–10.12.2018 द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक/स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु होने संबंधी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/ FIR के अभाव में या शव नहीं मिलने की स्थिति में मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान/मुआवजा का भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि साक्षरता की कमी के कारण अधिकांश परिवार मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता है, जिससे मुआवजा राशि नहीं मिल पाती है;	तदैव
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए अंचलाधिकारी थाना प्रभारी तथा मुखिया/ग्राम प्रधान के Certificate के आधार मुआवजा राशि के भुगतान का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/आ०प्र०(विधायी)–05/2021–130/आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021

(अमरेश कुमार नीरज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक –07/आ०प्र०(विधायी)–05/2021–130/आ०प्र०, राँची, दिनांक–27/2/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–235 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/2021

सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के काराओं में दैनिक भत्ता पर विडियों कॉन्फ्रेंसिंग ऑपरेटर /कम्प्यूटर ऑपरेटर/सफाई कर्मी, ड्राईवर कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०–1348, दिनांक–13.02.2015 द्वारा अधिसूचित नियमावली में राज्य सरकार के अधीनस्त पूर्व से कार्यरत अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की प्रक्रिया तथा शर्तों का निर्धारण किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	दिनांक–25.02.2021 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनियमित रूप से नियुक्त 183 दैनिक कारा कर्मियों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी है। आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–03/2021–.....1199./ राँची, दिनांक– 28/02/2021ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–252, दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/2021

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sec-7\Sandeep Vidhansabha\Chandan 3\Questions (Budget) 21.doc P-25

(26)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्न	वस्तुस्थिति
01	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सातवीं आठवीं, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या–01/2020 में उम्र सीमा की गणना 01.08.2011 रखी गई थी, जिसे वापस ले लिया गया;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है, कि पुनः प्रकाशित विज्ञापन में अधिकतम उम्र की सीमा की गणना 01.08.2016 रख कर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है, कि उम्र सीमा में पाँच वर्ष का अन्तराल रखने के कारण राज्य के लाखों छात्र वर्णित परीक्षा में शामिल नहीं हो पायेंगे;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 में अधिकतम आयु सीमा की गणना हेतु कट–ऑफ तिथि 01.08.2010 निर्धारित की गई थी। झारखण्ड राज्य में अधिसूचना सं0 162 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा नवगठित The Jharkhand Combined Civil Services Examination Rules, 2021 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाना है। वर्ष 2016 की परीक्षा के विज्ञापन प्रकाशन से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन में 04 वर्षों से अधिक का समय लग जाने के कारण वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 तक की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु विभागीय संकल्प सं0 805 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा कट–ऑफ तिथि 01.08.2016 करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त के अनुरूप झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 252 पदों के लिए विज्ञापन सं0 1/2021 दिनांक 08.02.2021 प्रकाशित किया गया है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकतम उम्र सीमा की गणना 01.08.2016 के स्थान पर 01.08.2011 करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति राज्य सरकार के समक्ष अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06–03/2021 का0 1263 /राँची दिनांक– 26/02/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 241 दिनांक 24.02.2021 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राज कुमारी)
सरकार के अवर सचिव।

(24)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी वर्ष 2015 से मनरेगा आयुक्त के पद पर पदस्थापित हैं, जबकि सरकार के नियमानुसार उक्त पद पर 02 वर्ष से अधिक समय तक पदस्थापन का प्रावधान नहीं है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 9576 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी, भा0व0से0 का पदस्थापन मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड के पद पर किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के संकल्प ज्ञापांक 56 दिनांक 03.01.2007 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त का पद सृजित किया गया है। संकल्प के अनुसार पद पर विशेष सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी पदस्थापित होने का प्रावधान किया गया है तथा संकल्प में कार्यावधि की समय–सीमा निर्धारित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा आयुक्त का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन है तथा विशेष परिस्थिति में अधिकतम तीन माह तक ही भारतीय वन सेवा संवर्ग के पदाधिकारी पदस्थापित हो सकते हैं।	अस्वीकारात्मक। मनरेगा अधिनियम, 2005 में इस आशय का प्रावधान नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी को मनरेगा आयुक्त के पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हुए इनके स्थान पर किसी योग्य पदाधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 3/विधानसभा–05–01/2021 का॰ ...1266... / राँची, दिनांक 27 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 79 वि.स. दिनांक 18.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/2021
(राजकुमार मण्डल)
सरकार के उप सचिव।